# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार, (स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः– वर्षा मीना (आर.ए.एस.)

| मुकदमा नम्बर | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 86 / 2022 | 29.09.2022 | 29.04.2026 |

1. प्रभुलाल उर्फ प्रभु पुत्र धन्ना बैरवा निवासी गोविन्दपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
2. कपूरी पत्नि प्रभुलाल बैरवा निवासी गोविन्दपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
3. मुरारी पुत्र आशाराम बैरवा निवासी गोविन्दपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
4. कैलाशी पत्नि मुरारी निवासी गोविन्दपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
5. गोपीलाल पुत्र कोरया बैरवा निवासी बालेर तहसील खण्डार जिला स0मा0।
6. रामसिया पत्नि मोतीलाल जाट निवासी कुरेड़ी तहसील खण्डार जिला स0मा0।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. सुखलाल पुत्र उंकारया बैरवा निवासी गोविन्दपुरा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
2. तहसीलदार लैंड होल्डर तहसील खण्डार।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–श्री ओमप्रकाश तेहरिया अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
श्री रविशंकर अग्रवाल अधिवक्ता, अप्रार्थी की ओर से

## निर्णय

1. प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राज0टी0एक्ट 1955 का पेश किया है जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार से हैः–

- यह है कि प्रार्थीगण 1 लगायत 4 ग्राम गोविन्दपुरा प्रार्थी संख्या गोपीलाल ग्राम बालेर तथा प्रार्थी संख्या 6 रामसिया ग्राम कुरेडी समस्त तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर (राज0) के स्थायी निवासी है। अप्रार्थी संख्या 1 सुखलाल ग्राम गोविन्दपुरा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर का स्थायी निवासी है अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार खण्डार लैण्ड होल्डर होने की वजह से पक्षकार बनाया गया है ।
- यह कि प्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रभुलाल व कपूरी की खातेदारी की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 564 / 255 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम इसरडा में स्थित है। प्रार्थी संख्या 2 कपूरी की खातेदारी कृषिभूमि आराजी खसरा नम्बर 526 / 249 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 588/255 रकबा 2 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा वाके ग्राम इसरडा में स्थित हैं प्रार्थी संख्या 3 व 4 मुरारी व कैलाशी की खातेदारी की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 573 / 255 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम इसरडा में स्थित हैं। प्रार्थी संख्या 5 गोपीलाल की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 551 / 255 रकबा 1 बीघा ग्राम इसरडा में स्थित है। प्रार्थी संख्या 6 रामसिया की खातेदारी की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 471 [illegible] रकबा 5 बीघा, 536/255 रकबा 2 बीघा 538 / 255 रकबा 2 बीघा [illegible] कुल रकबा 9 बीघा ग्राम ईसरडा में स्थित है। समस्त प्रार्थीगण की उक्त आराजी ग्राम इसरडा पटवार हल्का बालेर तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर में स्थित है जो कि सभी प्रार्थीगण की जमीन पास–पास है तथा प्रार्थीगण ने अपनी उक्त आराजी में ट्यूबबेल करवा रखी है तथा अपनी–अपनी उक्त कृषि भूमि में काश्त कर अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स0 मा0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:18:58 IST
Reason: SelfAttested

- यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि के पास अप्रार्थी सुखलाल की खातेदारी कृषिभूमि खसरा नम्बर 507 / 248 रकबा 4 बीघा व 592/255 रकबा 4 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा ग्राम इसरडा पटवार हल्का बालेर तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुरमें स्थित है।

- यह कि खसरा नम्बर 468 / 248 रकबा 32 बीघा 16 बिस्वा गै०मु० बेहड, खसरा नम्बर 469 / 248 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा बजंड–2, खसरा नम्बर 470/248 रकबा 50 बीघा 6 बिस्वा गैर मुमकिन बेहड कुल रकबा 87 बीघा 16 बिस्वा (सिवायचक) तथा खसरा नम्बर 529/255 रकबा 106 बीघा 16 बिस्वा गै० मुमकिन बेहड (सिवायचक) ग्राम इसरडा पटवार हल्का बालेर तहसील खण्डार में राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। तथा उक्त खसरा नम्बरों की प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी की कृषि भूमि तथा सिवायचक राजस्थान सरकार की भूमि के मूल खसरा नम्बर 248, 249, 255 है तथा उक्त खसरा नम्बरों की मौके पर तरमीम नहीं है।

- यह कि प्रार्थीगण ग्राम गोविन्दपुरा में होकर मौके पर मौजूद रास्ते में होकर अपनी उक्त आराजी को हॉकने जोतने व काश्त करने हेतु ग्राम गोविन्दपुरा में होकर आ रहे रास्ते में होकर ट्रेक्टर लेकर आते है तो प्रार्थीगण के खेतों में जाने से पहले खसरा नम्बर 248 व 255 पडता है जिसमें अप्रार्थी सुखलाल की कृषि भूमि एवं सिवायचक भूमि पडती है में होकर प्रार्थीगण कई वर्षो से ट्रेक्टर से हकाई जुताई करवाने के लिये आते जाते रहे है। इसके अलावा प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी की आराजी में आने जाने का रास्ता नहीं है।

- यह कि प्रार्थीगण के खेतों में जाने के आम रास्ते में एकमात्र अप्रार्थी सुखलाल ही अवरोध पैदा करता है। अप्रार्थी सुखलाल काफी बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति है तथा प्रार्थीगण के रास्ते को बंद करने के उद्देश्य से प्रार्थीगण को निकलने नहीं देता है तथा पानी के बहाव में पुख्ता दीवार बनवाकर रास्ता अवरूद्व कर रहा है, जबकि अप्रार्थी के पास उक्त खसरा नम्बरों में खातेदारी की कुल 8 बीघ भूमि उपलब्ध है। तथा अप्रार्थी ने मौके पर करीबन 80 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है तथा हॅकाई जुताई कर काश्त कर रहा है तथा प्रार्थीगण को धमकी देना चालू कर दिया कि यहाँ होकर नहीं निकलने दूंगा। जिसका अप्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी दबंग व पैसे वाला व्यक्ति है तथा कहता है कि मैने तो कई वर्षो सेसरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है जब सरकार ने ही मेरे खिलाफ कुछ नहीं किया तो तुम क्या कर लोगे। मैने तो उक्त खसरा नम्बरो में मेरी खातेदारी की कुल 8 बीघा भूमि की आड में 80 बीघा पर कब्जा कर रखा है प्रार्थीगण के खेतों में जाने के रास्ते में एकमात्र अप्रार्थी सुखलाल ही अवरोध पैदा कर रहा है जबकि उक्त खसरा नम्बरों की कोई तरमीम नहीं हो रही है तथा अप्रार्थी को उक्त रास्ते को चालू रखने में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ना ही अप्रार्थी की खातेदारी की कृषि जोतो में कमी आ रही है उक्त खसरा नम्बरों में काफी सिवायच[illegible] भूमि [illegible] कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी–अपनी आराजियात में बाजरा, तिल आदि खरी[illegible] की [illegible]सल उगाई है। जिसमें फसल को तैयार कर निकालने बाबत ट्रेक्टर [illegible] किन्तु अप्रार्थी द्वारा रास्ते में पक्की दीवारखडी कर [illegible]तार – फैसिंग करके रास्ता बंद कर दिया तथा प्रार्थीगण ने दिनांक 30/08/[illegible] को रास्ता खुलासा करने को कहा तो प्रार्थीगण से लडाई झगडा करने पर आमादा हो गया तथा कई प्रकार के झूठे मुकदमें में फॅसाने की धमकी दी तथा प्रार्थीगण को उक्त रास्ता में होकर नहीं निकलने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:18:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स० मा०) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

धमकी दी तथा प्रार्थीगण से कहा कि नही मानोगे तो अंजाम बुरा होगा। प्रार्थीगण ने पूर्व में भी उक्त रास्ते के संबंध में श्रीमान् जी को व तहसीलदार साहब को शिकायत की है। अप्रार्थी प्रार्थीगण की फसल को खराब करने पर आमादा है। अप्रार्थी प्रार्थीगण के ट्रेक्टर आदि साधन को नहीं निकालने देता है जिसका अप्रार्थी को कोई विधिक अधिकार नहीं है।

- यह कि अब प्रार्थीगण के पास अपने खेतों पर आने जाने के लिए रास्ता खुलासा करवाने हेतु व रास्ता को राजस्व रिकोर्ड में अंकन करवाने बाबत् यह प्रार्थनापत्र पेश करना लाजिमी आया है, इसलिए प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण यदि रास्ते को निकालते वक्त सिवायचक के अलावा अप्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि आती है तो प्रार्थीगण उसका हर्जा–खर्चा भी देने को तैयार है।
- यह कि प्रार्थना पत्र के साथ उक्त खसरा नम्बरों की प्रार्थीगण व अप्रार्थी की खातेदारी भूमि की जमाबंदी तथा साथ ही सिवायचक भूमि की जमाबंदी व नक्शा ट्रेस तथा मौके का नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश कर रहा है।
- यह कि प्रार्थना पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान् को प्राप्त है।
- यह है कि प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है।
- यह कि अन्य उज्रात वरवक्त बहस जुबानी अर्ज किये जावेगे। अतः सेवामें प्रार्थना पत्र पेशकर श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थीगण को अपने उक्त खातेदारी के खसरा नम्बरों की कृषि भूमि पर आने जाने हॉकने जोतने के लिये ट्रेक्टर जाने–ले जाने बाबत् अप्रार्थी की खसरा नम्बर 507 /248 रकबा 4 बीघा खसरा नम्बर 592/255 रकबा 4 बीघा व उक्त खसरा नम्बर की सिवायचक भूमि में होकर 25 फिट चौडा रास्ता दिलवाये जाने व उक्त रास्ते को राजस्व रिकोर्ड में अंकन करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रार्थना पत्र के सभी बिन्दुओं को अस्वीकार किया गया ओर विशेष विवरण में अंकित किया गया।

- यह कि प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र खिलाफ कानून होने से चलने योग्य नहीं है । क्योंकि मौके पर अप्रार्थी के खेत की बगल में से पूर्व से ही रास्ता निकला हुआ है । प्रार्थीगण मौके पर मौजूद रास्ते में होकर अपनी आराजीयात को हॉकने, जोतने, व काश्त करने हेतु ग्राम गोविन्दपुरा में होकर आ रहे पूर्व से ही बने हुये रास्ते में से निबार्ध रूप से निकलते आ रहे है । अप्रार्थी की आराजीयात की बगल से ही प्रार्थीगण की आराजीयात में आने जाने हेतु रास्ता पूर्व में ही निकला हुआ है । प्रार्थीगण ने रंजिश वश नया रास्ता लेने हेतु तथा अप्रार्थी के खेत की सुरक्षा हेतु कई सालों से तार फैसिंग की हुई है उसको हटाना चाहते है तथा प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी का कटाव रोकने के लिये जो डोली कई सालो से बनी हुई है । उसको इस प्रार्थना पत्र की आड़ लेकर के हटाना चाहते है। इसलिये मौके पर रास्ता होते हुये भी नये रास्ते के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया गया है मौके की वस्तुस्थिति राजस्व कर्मचारीयों से मंगाया जाना अति आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:18:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

- यह कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मौके पर रास्ता होते हुये भी नये रास्ते के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया गया है इसलिये प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जाना न्याय संगत है ।
- यह कि बकिया उजात बर बक्त बहस जुबानी अर्ज किये जावेगे । अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीगण का आवेदन पत्र सव्यय मय हर्जा – खर्चा खारिज फरमाया जावे।

3. तहसीलदार खण्डार के पत्रांक एलआर / 2025 / 2303 दिनांक 19.08.2025 के द्वारा विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट पेश की गई। जो संलग्न पत्रावली है।

4. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। भू अभिलेख निरीक्षक बालेर एवं पटवारी बालेर के द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट मय नजरी नक़्शा प्रस्तुत किया गया। उक्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 592 / 255 की दक्षिण मेड के सहारे से पश्चिमी मेड के सहारे होते हुए परिवादी मुरारी पुत्र आशाराम व कैलाशी पत्नी मुरारी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 573 / 255 तक कच्चा रास्ता सुचारू है। रिपोर्ट अनुसार 255 के 69 उपखासरे है जिनकी राजस्व लट्ठाशीट में तरमीम नहीं है। तरमीम नहीं होने के कारण रिपोर्ट में प्रार्थना पत्र में अंकित खसरों का केवल नजरी नक़्शा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क किया है कि नजरी नक़्शे में हरि स्याही से दर्शित रास्ते का वह उपयोग करते आये है जिसको अप्रार्थीगण द्वारा बंद कर दिया है। धारा 251 के तहत किसी भू–धारक के मार्गाधिकार में विघ्न डाले जाने की दशा में तहसीलदार को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है न की उपखण्ड अधिकारी को। धारा 251–क के तहत नवीन रास्ता क़ायम करने से पूर्व यह समाधान ज़रूरी है कि जोत पर पहुँच हेतु वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है एवं चाहा गया रास्ता केवल जोत के सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा खसरा नंबर 564 / 255, 526 / 249, 588 / 255, 573 / 255, 551 / 255, 471 / 288, 536 / 255, 538 / 255 में पहुँच हेतु रास्ता चाहा गया है। उक्त भूमि अलग अलग खातों में दर्ज है किंतु प्रार्थीगण द्वारा उक्त समस्त भूमि तक पहुँच हेतु संयुक्त रूप से आवेदन कर एक साथ रास्ता चाहा गया है। प्रकरण में भू अभिलेख निरीक्षक बालेर एवं पटवारी बालेर की मौक़ा रिपोर्ट अनुसार खसरा नंबर 573 / 255 तक पहुँच हेतु मौक़े पर कच्चा रास्ता पूर्व से ही चालू है। उक्त नजरी नक़्शा अनुसार खसरा नंबर 573 / 255, 536 / 255, 538 / 255, 588 / 255, 564 / 255, 551 / 255 आपस में सटी हुई आरजी है इसलिए प्रस्तुत नजरी नक़्शा अनुसार प्रार्थीगण स्वयं के खसरा नंबर 573 / 255 से अन्य खसरो तक पहुँच सकते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा जिन खसरा नंबरों तक संयुक्त रूप से रास्ता चाहा गया वहाँ तक पहुँच हेतु वैकल्पिक कच्चा रास्ता मौक़े पर पूर्व से ही मौजूद है। क्योंकि प्रकरण में वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध नहीं हुआ है इसलिये 251–क के तहत नवीन रास्ता क़ायम किए जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

## आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। [illegible] फैसलाशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तक्मील दफ्तर दाखिल हों। यह [illegible] दिनांक 29.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:18:58 IST
Reason: SelfAttested

(वर्षा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार(स.मा.)

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स. मा.)